कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर,मनरेगा,बाडमेर

क्रमांकःप.19(623) (1)मनरेगा / 2016 / दिनांकः

विज्ञप्ति

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजनान्तर्गत बाडमेर जिले की पंचायत समितियों में रिक्त कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 29 (उन्नतीस) पदो हेतु अनुबन्ध के आधार पर (पूर्णतया अस्थाई) निम्न शर्तो के आधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

शर्ते :–

1.इन पदो की आयु सीमा (दिनांक 1.1.2016 को) 18 से 35 वर्ष तक होगी तथा आरक्षित वर्ग को नियमानुसार 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट देय होगी

2.कनिष्ठ तकनीकी सहायक पद हेतु निर्धारित योग्यता सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री/डिप्लोमा तथा कृषि अभियात्रिकी में बीई या बीटेक डिग्रीधारी होगी ।

3.अनुसूचित जाति,अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग विकलांग तथा महिलाओं का आरक्षण नियमानुसार लागू होगा।

4.आवेदन पत्र के साथ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को 200/–रू. एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 100/–रू. का पोस्टल आर्डर जिला कार्यक्रम समन्वयक,महात्मा गांधी नरेगा,बाडमेर के नाम से आवश्यक रूप से लगाना होगा। अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।

5.आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को अपना नाम,पिता का नाम, जाति,श्रेणी वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/विकलांग), लिंग,आयु,शैक्षणिक योग्यता,निवास स्थान का वर्तमान व स्थाई पता मय टेलीफोन व मोबाईल नंम्बर आदि का अंकन करेगें तथा साथही समस्त अंकतालिकाएं व प्रमाण पत्र भी संलग्न करेगें जो स्वंय द्वारा प्रमाणित हो।

5.आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी पूर्व विवरण /आवश्यक दस्तावेजो सहित अपना आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर,महात्मा गांधी नरेगा,बाडमेर के नाम प्रेषित करेगें जो दिनांक 20.10.2016 तक आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाना चाहिये । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

6.इन पदो की सेवाऐं अनुबन्ध पर होगी एवं मानदेय 13000/–रू. प्रतिमाह देय होगा, जिसमें 3000/–रू. ग्रामीण भत्ता एवं 2000/–रू. यात्रा भत्ता शामिल है। स्वंय के वाहन से एक माह में कम से कम 20 दिवस की यात्रा करने पर ही यात्रा भत्ता की राशि देय होगी।

7.चयनित अभ्यर्थी को नियमानुसार 100/–रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने संबंधी अनुबन्ध पत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा।

8.उक्त सेवाऐं पूर्णतया अनुबन्ध आधारित है, और अनुबन्ध अवधि 28.2.2017 तक या राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बढाने तक जो भी पहले हो के लिये मान्य होगी।

9.सेवाऐं संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।

10आवेदन पत्र एवं विस्तृत शर्ते वेबसाईट barmer.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं जिला कलक्टर,बाडमेर

क्रमांकःप.19(623) (1)मनरेगा / 2016 / 3475-80 दिनांकः 29-9-16

प्रतिलिपिः

1.ए.सी.पी. सूचना प्रोधोगिकी विभाग,बाडमेर को उक्त विज्ञप्ति बाडमेर जिले की वेबसाईड पर उपलोड करने हेतु ।

2.नोटिस बोर्ड जिला कार्यालय, जिला परिषद (ग्राविप्र),जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय

3.सम्पादक राजस्थान पत्रिका, बाड़मेर को उक्त विज्ञप्ति को अधिकतम 100 वर्ग सेन्टीमीटर आकार में जोधपुर संस्करण में प्रकाशित कर बिल डीपीआर दरो पर इस कार्यालय को भिजवावें।

4.रोकड़पाल, जिला परिषद (मनरेगा) बाडमेर।

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी नरेगा,बाडमेर